तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/12/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र RTA 212 समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता के नाम से दर्ज है। हमारे पिता कमाराम फौत हो चुके हैं इसलिए प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का विरासतन बहैसियत हक हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण ने यदि इस आराजी को अन्तरित कर दी तो वाद बहुलता में वृद्धि होगी। जब तक दावा चले वादग्रस्त संपति की संरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। जहाँ तक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में पेश वसीयत का प्रश्न है तो यह फ्री विल नहीं होने से void है। प्रार्थी के पिताजी अनपढ़ थे जो डेरा सच्चा सौदा में रहते थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई। वसीयत में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अप्रार्थी 1 के पक्ष में वसीयत क्यों की तथा अन्य उत्तराधिकारियों को क्यों छोड़ा आज यदि अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज हो जाती है तो दावा ही निष्फल हो जाएगा। वसीयत की वैधता का निर्धारण जरिए साक्ष्य तय होना है वसीयत के दो गवाहों में से एक महावीर प्रसाद ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि ऐसी कोई वसीयत निष्पादित नहीं हुई है। वसीयत संदेहपूर्ण है मात्र पंजीकृत होने से इसे सही नहीं माना जा सकता इसे परिस्थितिजन्य तथ्यों से साबित करना पड़ेगा कि अन्य वारिसान को क्यों छोड़ा गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायदृष्टान्त - 2019(1) WLC (RAJ) UP-448, 2002(1) CCC पेज 194, 1998(2) CCC पेज 465 AP 2003(1) ACJP पेज 186 S.C., 2003(3) CCC पेज 396 1999(3) CCC पेज 604 P&H, 1994(2) CCC पेज 97 MP

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तारीख हुक्म

1992(2) CCC पेज 313 कर्नाटक, 1992(2) CCC पेज 268, 1998(3) CCC पेज 303 P&H, 1998(1) Rajasthan Law Reporter पेज 850, 1998(2) Rajasthan Law Reporter पेज 871 पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किए कि एक 11PTP में प्रश्नगत भूमि कानाराम द्वारा जरिए बैयनामा दिनांक 8/6/83 खरीदशुदा है। कानाराम द्वारा दिनांक 10/2/14 को 5 बीघा कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी हजारीराम के नाम निष्पादित करवा दी। कान्हाराम की मृत्यु होने से अप्रार्थी हजारीराम इस भूमि का मालिक हो चुका है। कानाराम के शेष वारिसान ने भी वसीयत को स्वीकार किया है। यह एक पंजीकृत दस्तावेज है। यह void दस्तावेज नहीं है। प्रार्थी द्वारा आज तक इस वसीयत को चुनौती नहीं दी है। इस स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी का मालिक नहीं होने से प्रथमदृष्टया मामला उसके पक्ष में नहीं बनता न ही उसे कोई अपूरणीय क्षति संभावित है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं सम्मानीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतों का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णयन हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिंदुओं - प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विचारण किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता कानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। संपत्ति विवाद परिवार के सदस्यों के मध्य है। मूल विवाद का बिंदु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अभिकथित वसीयत दिनांक 10/02/2004 को लेकर है। पत्रावली

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

सहायक कलक्टर [illegible]

Scanned by CamScanner

पर इस वसीयत दिनांक 10/02/2004 की छायाप्रति उपलब्ध है। जिस पर प्रथमदृष्टया कानाराम, अप्रार्थी हजारीराम एवं दो गवाह - सुभाष चंद्र एवं महावीर प्रसाद के नाम एवं हस्ताक्षर अंकित होना प्रतीत होता है। कानाराम के वारिसान में से प्रार्थी महेन्द्र एवं कमला ने वसीयत को नकारा है एवं वाद डिक्री करने का निवेदन किया है जबकि अन्य वारिसान - सुभाष, हजारी एवं लीला ने वसीयत स्वीकार की है। इसी प्रकार दो गवाहों में से एक महावीर प्रसाद पुत्र ओमप्रकाश ने वसीयत अस्वीकार की है जबकि अन्य गवाह सुभाष ने वसीयत स्वीकार मानी है। ऐसी स्थिति में वसीयत के संबंध में इस स्तर पर कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता। वसीयत के संबंध में कोई भी विनिश्चयन जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर ही संभव है। इस स्थिति में वसीयत के आधार पर कोई निर्णय करना वाद बहुलता को उत्पन्न करेगा। माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांत 1999(2) CCC पेज 268 कर्नाटक, 1998(3) CCC पेज 303 P&H में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - " Mere registration of a will, is no proof of its Execution"

यहां संपत्ति का विवाद परिवार के सदस्यों के मध्य है। इसलिए वाद के दौरान न्यायालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वादग्रस्त संपत्ति की संरक्षा करें ताकि पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता में वृद्धि न हो। इसलिए वसीयत दिनांक 10/2/04 पर वाद में जरिये साक्ष्य विनिश्चय करने तक प्रश्नगत भूमि की संरक्षा न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि यदि इस स्तर पर अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज हो जाती है तो वाद औचित्यहीन हो सकता है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति संभाव्य है।

सही/-
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सही/-
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

इस समग्र विवेचन एवं न्यायदृष्टांतो के आलोक में पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता रोकने हेतु न्यायहित में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु उपयुक्त्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पार्टी के पक्ष में निर्णित किए जाते है। अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21/10/14 इस आशय की ताफैसला दावा कन्फर्म की जाती है कि उभयपक्ष प्रश्नगत आराजी को वाद निस्तारण होने तक रहन वैय अंतरित नहीं करेंगे। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद मे संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांभरिया

Scanned by CamScanner